# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/86 दायरा दिनांक : 21.06.2023

**उनवान**

1. रचना पुत्री देवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. सुशील कुमार पुत्र देवराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

**बनाम**

1. शिव कुमारी पत्नी फतेह सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
2. अनन्त सिंह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
3. अर्चना पुत्री कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
4. अरविन्द पुत्र कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
5. ज्योति पुत्री कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
6. वन्दना पुत्री कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
7. शकुन्तला देवी पत्नी कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
8. शंभू सिह पुत्र कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
9. साधना पुत्री कृष्ण कुमार सिंह, जाति राजपूत, निवासी जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225(251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ0 पी0 मेहता ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

## निर्णय दिनांक : 14.05.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 2021/330 निर्णय दिनांक 04.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थिया के खाते की भूमि खसरा नं. 1391 रकबा 2.15 हेक्टेयर वाके ग्राम जलवाडा, पटवार हल्का जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान में स्थित है। जिसमें जलवाडा से बमोरी सड़क से जाने के लिए अप्रार्थीगण कम 1 ता 2 के संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 1390 रकबा 1.56 हेक्टेयर वाके ग्राम जलवाडा, पटवार हल्का जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0 में स्थित एवं अप्रार्थी कम 3 ता 10 के संयुक्त खाते की भूमि खसरा नं. 60 रकबा 4.43 हेक्टेयर वाके ग्राम बमोरी, पटवार हल्का जलवाडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज0 में स्थित के मध्य होकर 15 फीट चौड़ाई में व 600 फीट लम्बाई में क्षेत्रफल 15X600 = 9000 वर्गफीट उत्तर से दक्षिण एक मात्र रास्ता मौजूद है इसके अलावा प्रार्थीया के खाते की उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने व ट्रेक्टर टोली व अन्य साधन व वाहन लाने ले जाने के लिए रास्ते के रूप में कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 04.01.2023 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट कम. 1 शिवकुमारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.11.2021 को टाईप करवाकर दिनांक 16.01.2021 को जर्ये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के खाते की आराजी खसरा नं. 1391 रकबा 2.15 हेक्टेयर कृषि भूमि में आने जाने वास्ते रास्ता कायम करवाये जाने हेतु अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट कम 2 ता 9 के विरूद्ध आराजी खसरा नं. 1390 रकबा 1.56 हेक्टेयर ग्राम जलवाडा एवं आराजी खसरा नं. 60 रकबा 4.43 हेक्टेयर माल ग्राम बमोरी के मध्य पूर्व से चले आ रहे रास्ते को खुलासा करवाये जाने एवं नया रास्ता कायम किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प जलवाडा में दिनांक 24.11.2021 को एक तरफा गैर कानूनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साजिश रचकर हल्का पटवारी एवं कानूगों से गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर 4X124 = 496 वर्गमीटर रास्ते बाबत रिपोर्ट तैयार करवा ली गई जो तहसीलदार किशनगंज के माध्यम से दिनांक 07.03.2022 को पत्रावली में प्रस्तुत करवाई गई जो अस्पष्ट होने से अपीलांटगण के आवेदन करने पर पुनः नई रिपोर्ट नायब तहसीलदार, नाहरगढ द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 10.08.2022 को किया जाकर जर्ये तहसीलदार, किशनगंज दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत की गई जो पत्रावली में मौजूद है। तलबी होने पर प्रथम पेशी दिनांक 19.01.2022 को अपीलांटगण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करवाया गया उसी दिन प्रार्थी/रेस्पोडेंट कम 1 शिवकुमारी द्वारा अप्रार्थी कम 3 ता 10 रेस्पोडेंट कम 2 ता 9 के विरूद्ध कोई सहायता प्राप्त नहीं करने बाबत आवेदन कर मात्र अपीलांटगण के विरूद्ध कार्यवाही चाहे जाने एवं संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांटगण द्वारा विधिवत जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। नायब

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसीलदार, नाहरगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांटगण के खाते की आराजी खसरा नं. 1390 रकबा 1.56 हेक्टेयर में से पूर्वी तरफ 15 फुट चौडा रास्ता देना स्वीकार किया गया तथा प्रार्थीया/रेस्पोडेंट कम 1 के खाते की आराजी खसरा नं. 1391 रकबा 2:15 हेक्टेयर में से दुगुनी भूमि देने पर सहमति कायम हुई थी जिसकी मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा एवं सहमति पत्र पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट पर कोई गौर न कर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जिसमें आराजी खसरा नं. 1390 ग्राम जलवाडा एवं खसरा नं. 60 रकबा 4.43 हेक्टेयर ग्राम बमोरी के मध्य 4 मीटर चौडा एवं 124 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये है जिससे स्पष्ट नहीं है कि किसकी कितनी कृषि भूमि व नाप में किसको कितना पैसा मिलना है यह सही स्पष्ट नहीं होने से निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है और अनावश्यक वाद विवाद उत्पन्न होगा। नायब तहसीलदार, नाहरगढ द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड में दर्ज पैमाईश किये जाने के पश्चात ही निर्णय पारित किये जाने के अनुरोध को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.01.2023 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेंमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 (क) का संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया गया। अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 (क) का संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया गया। अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2023 से प्रार्थिया रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार कर यह आदेश पारित किया है कि प्रार्थिया की आराजी खसरा नं. 1391 रकबा 2.15 हेक्टेयर वाके ग्राम जलवाडा अप्रार्थी कम 1, 2 के संयुक्त खाते की आराजी वाके

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ग्राम जलवाडा पटवार हल्का जलवाडा, तहसील किशनगंज खसरा नं. 1390 रकबा 1.56 हेक्टेयर अप्रार्थीगण कम 2 ता. 10 के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नं. 60 रकबा 4.43 हेक्टेयर वाके ग्राम बमोरी पटवार हल्का जलवाडा, तहसील किशनगंज में से 4 मीटर चौडा एवं 124 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थिया से नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान कर चालू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते हैं।

अप्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जिसमें आराजी खसरा नं. 1390 ग्राम जलवाडा एवं खसरा नं. 60 रकबा 4.43 हेक्टेयर ग्राम बमोरी के मध्य 4 मीटर चौडा एवं 124 मीटर लम्बा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिससे स्पष्ट नहीं है कि किसकी कितनी कृषि भूमि रास्ते में जानी है व नाप से किसको कितना पैसा मिलना है यह स्पष्ट नहीं होने से निर्णय की पालना किया जाना संभव नहीं है और अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगा।

दौराने बहस रेस्पोडेंट कम 1 के अधिवक्ता ने अपीलांट के उक्त कथन का समर्थन करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थिया शिवकुमारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 (क) के तहत संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर निर्णय नहीं हुआ। अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 07.03.2022, 12.08.2022 एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2022 के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो अस्पष्ट एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा